

101 / 1.14 P.M / 7.5.15

नगरपालिका निर्वाचन  
शहरी स्थानीय निकाय

प्रपत्र - 6  
(नियम 37 देखिये)

नाम निर्देशन-पत्र

जिला: देवघर शहरीस्थानीय निकाय  
\* प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 से देवघर जिला नगर निगम  
\* निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 से देवघर जिला महापौर/अध्यक्ष के लिये निर्वाचन  
में उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट  
करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम रीना केशरी  
पिता/माता/पति का नाम अनुराज कुमार केशरी  
डाक पता: मोहावाडी, चमकेश्वर जिला देवघर जो नगरपालिका देवघर के  
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 की मतदाता सूची में क्रमांक 143 भाग संख्या 29/2 पर प्रविष्ट  
है।

मेरा नाम सुभाष सिंह है जो जिला देवघर नगरपालिका देवघर के  
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 की मतदाता सूची में क्रमांक 378 भाग संख्या 29/1 पर  
प्रविष्ट है।  
प्रस्तावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान: देवघर  
तारीख: 7-5-2015

में उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त पद के लिये निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट के प्रस्तावक का  
समर्थन करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम रीना केशरी  
पिता/माता/पति का नाम अनुराज कुमार केशरी  
डाक पता: मोहावाडी, चमकेश्वर जिला देवघर  
जो नगरपालिका देवघर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 की मतदाता सूची  
में क्रमांक 143 भाग संख्या 29/2 पर प्रविष्ट है।  
मेरा नाम सुभाष सिंह है जो जिला देवघर नगरपालिका देवघर के प्रादेशिक  
निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 की मतदाता सूची में क्रमांक 378 भाग संख्या 29/1 पर प्रविष्ट है।  
प्रसाद केशरी  
समर्थक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान: देवघर  
तारीख: 7-5-2015

- \* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
- मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए अपनी सहमति देता/ देती हूँ और एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि:-
  - (क) मैंने 28 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
  - (ख) मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी लिपि में हिन्दी में सही लिखा गया है।

- (ग) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त निर्वाचन के लिये अर्हित हूँ और अन्यथा अनर्हित भी नहीं हूँ।
- (घ) मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग का होने का दावा करता / करती हूँ तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है।

स्थान.....बेवपट

तारीख.....7-5-2015

रीना केसरी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशानह

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नाम निर्देशन-पत्र का क्रमांक.....101

यह नाम निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में तारीख 07/05/2015 को 1:19 pm (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 07/05/2015

15.15

निर्वाची पदाधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाची पदाधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2012, के नियम 37.क अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख 07/05/2015

समय 1:19 pm

15.15

निर्वाची पदाधिकारी का  
(हस्ताक्षर व मुहर)

जीवित हैं तथा जिनके नाम निम्न प्रकार हैं -

(यदि कोई संतान गोद दी गई है तो उसका भी उल्लेख करें)

नाम	जन्म तिथि
(i) आर्यन केसरी	27.7.2007
(ii) हनी केसरी	2.10.2010
(iii) लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) लागू नहीं	लागू नहीं
(v) लागू नहीं	लागू नहीं



(अध्याय 5 कण्डिका 5.10)  
(प्रपत्र 24 संशोधित)

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

Vol. No. 911-2288  
Date 07.05.2015



1. रीना केसारी जिला/की अरुण कुमार केसारी उम्र 28 वर्ष 2015  
01. देवघर नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 29 मुहल्ला कोमाराहा पारट देवघर  
घाना देवघर जिला देवघर झारखण्ड का निवासी है तथा उपरोक्त निर्वाचन में सत्य निष्ठापूर्वक प्रतियोगिता और निम्न प्रकार से शपथ लेता है कि :-

1. मैं अपना नाम निर्देशन पत्र नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 29 से पारट/ प्रकाश/ प्रकाश पट व निर्वाचन हेतु दाखिल कर चुका हूँ/रही हूँ।
2. मेरा नाम नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत देवघर के वार्ड संख्या 29 की मतदाता सूची के क्रमांक 143 पर दर्ज है तथा इसके अलावे नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य-बाहर के अन्य किसी नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
3. मेरा सम्पर्क दूरभाष नम्बर 9987543210 है, तथा इमेल आईडी (यदि कोई हो तो) नाशु नहीं होता है।
4. Permanent Account Number (PAN) तथा Income Tax दाखिल करने की स्थिति निम्नवत है :

क्रम संख्या	नाम	PAN	वित्तीय वर्ष जिसमें अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है।	आयकर रिटर्न में दिखाया गया कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं <u>रीना केसारी</u>	<u>नाशु नहीं</u>	<u>नाशु नहीं होता</u>	<u>नाशु नहीं होता</u>
2	पति/पत्नी <u>अरुण कुमार केसारी</u>	<u>नाशु नहीं</u>	<u>नाशु नहीं होता</u>	<u>नाशु नहीं</u>
3	आश्रित-1 <u>आमेन केसारी</u>	<u>नाशु नहीं</u>	<u>नाशु नहीं होता</u>	<u>नाशु नहीं</u>
4	आश्रित-2 <u>इन्दी केसारी</u>	<u>नाशु नहीं</u>	<u>नाशु नहीं होता</u>	<u>नाशु नहीं</u>
5	आश्रित-3 <u>हनी केसारी</u>	<u>नाशु नहीं</u>	<u>नाशु नहीं होता</u>	<u>नाशु नहीं</u>

5. **कानूनी मामलों का विवरण :**  
मैं किसी अपराध के लिए आरोपित हूँ/आरोपित नहीं हूँ जिसमें दो साल या अधिक का कारावास का प्रावधान है तथा मुकदमा/मुकदमों लम्बित है जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप गठित किया जा चुका है।  
यदि शपथकर्ता ऐसे किसी अपराध का दोषी है तो वह निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा :

(i) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित मामलों लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा सक्षम न्यायालय से मेरे विरुद्ध आरोप गठित हो चुका है :

A	प्राथमिकी संख्या (थाना, जिला, राज्य का नाम एवं पूर्ण पता)	<u>नाशु नहीं</u>
B	सम्बन्धित कानून की धारा जिसके तहत आरोपित है, का संक्षिप्त विवरण	<u>नाशु नहीं</u>
C	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा न्यायालय द्वारा सज्जान लिए जाने की तिथि	<u>नाशु नहीं</u>
D	न्यायालय का नाम जहाँ आरोप गठित हुआ है	<u>नाशु नहीं</u>

E	आरोप पठित होने की तिथि / तिथियाँ	लागू नहीं होता
F	क्या किसी स्थान न्यायालय ने सभी या किसी कार्यवाही को stay करने का आदेश दिया है।	लागू नहीं होता

(ii) निम्नांकित मामला / मामले में विरुद्ध समित्त है जिसमें न्यायालय ने संज्ञान त लिया है (उपर अंकित कथिका (i) का प्रयोग)

A	न्यायालय का नाम, केस नम्बर तथा संज्ञान लेने की तिथि	
B	उन अधिनियमों, धाराओं तथा आरोपों का पूर्ण व्योरा जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है	लागू नहीं होता
C	अपील या रीविजन की तिथि, यदि उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है	लागू नहीं
D	क्या अपील या रीविजन के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया है	लागू नहीं
E	यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि	लागू नहीं

(iii) क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अत्याच से निम्न, किसी अपराध के लिए छ माह से अधिक की अवधि लिए सभी कारावास या अर्थ दण्ड से दंडित किए गए हैं,

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:

A	न्यायालय का नाम जिसके द्वारा प्रेषित किए गए हैं	लागू नहीं होता
B	दण्डित किए जाने की तिथि तथा केस नम्बर	लागू नहीं होता
C	किए गए अपराध की प्रकृति (अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	लागू नहीं होता
D	दिया गया दण्ड	लागू नहीं होता
E	कारावास में रहने की अवधि (यदि कोई हो तो)	लागू नहीं होता
F	कारावास से मुक्त होने की तिथि	लागू नहीं होता

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/रीविजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है या नहीं -

A	अपील संख्या / रीविजन संख्या का विवरण	लागू नहीं होता
B	न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील / रीविजन आवेदन पत्र दाखिल किया गया है	लागू नहीं होता
C	क्या दाखिल अपील / रीविजन पत्र निम्नादि हो चुका है या समित्त है	लागू नहीं होता
D	यदि निम्नादि है तो निम्नादि की तिथि तथा पारित आदेश का संक्षिप्त व्योरा	लागू नहीं होता
E	क्या अपील / रीविजन के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया	लागू नहीं होता
F	यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि	लागू नहीं होता

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्नीयित (discharge) किए गए हैं या छ माह से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किए गए हैं -

A	न्यायालय जिसके द्वारा दोष मुक्त किए गए हैं	लागू नहीं होता
B	आरोप की प्रकृति एवं केस नम्बर (अधिनियम एवं धारा का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता

(घ) क्या देश के भीतर किसी राजनीतिक पक्ष से निम्न, किसी अपराध के लिए न्यायालय ने IPC या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया है, यदि हाँ तो निम्न व्योरा दें -

A	क्या Cr.P.C. की धारा 109 या धारा 130 के तहत अर्थ व्यवहार के लिए का पत्र देने का आदेश दिया गया है	लागू नहीं होता
B	यदि हाँ, तो केस नम्बर एवं तिथि तथा न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता
C	क्या ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट तो नहीं दिये गए हैं	लागू नहीं होता
D	क्या किसी आपराधिक कार्य का अभियुक्त होने के कारण छ माह से अधिक समय से फरार है	लागू नहीं होता

6. अचल परिसम्पत्ति का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा।  
 नोट : 2 यदि कोई धन जमा है या निवेश किया गया है तो उसका पूर्ण धौरा जिसमें क्रम संख्या, कुल राशि, जमा करने की तिथि, स्कीम का नाम, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का नाम एवं उसके ब्रांच का नाम का उल्लेख किया जाएगा।  
 नोट : 3 स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कम्पनी या गैर सूचीबद्ध कम्पनी का यदि कोई बॉन्ड या शेयर/डिबेन्चर खरीदा गया है तो स्टॉक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार मूल्य को बताना होगा तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनी के मामले में खातों के अनुसार बताना होगा।  
 नोट : 4 अभिलेखों से आशय वही है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75A के Explanation (V) में परिचित है।  
 नोट : 5 प्रत्येक निवेश के संबंध में उसकी राशि सहित अलग अलग तथा पूर्ण धौरा दिया जाना है।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	नकद	25,000	10,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर वित्तीय संस्थानों में जमा धन राशि का धौरा (FDR, STDR में आवर्ती जमा में, बचत खाता में आदि)	SBI में जमा Rs. 128192	FBI में जमा राशि Rs. 55716	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	निवेश का धौरा (बॉन्ड, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड तथा अन्य आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश जैसे N.S.S., Postal Saving बीमा पॉलीसी, तथा अन्य इसी प्रकार का निवेश	लागू नहीं	SAHARA में Rs. 74,000 FBI Life Rs. 5000 LEC Policy	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
v	Personal Loan या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान या ट्रस्ट या सोसाइटी को दिया गया लोन जो बाद में उससे प्राप्त किया जाना है तथा उसकी राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vi	मोटर वाहन / जयुयान, पानो प्रोपर्टी का नाम (कम्पनी, गॉड्डन, निवेशन किया, खरीदने का वर्ष तथा उसका मूल्य आदि)	लागू नहीं	Hero Honda Glamour Rs. 50,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vii	गहने, बुलियन तथा अन्य सन (मार तथा अद्यतन बाजार मूल्य)	सौम्य 20,000 Rs. 60,000	सौम्य 20,000 Rs. 60,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
viii	अन्य परिसम्पत्तियों जैसे दावे (claims) की कोमत / ब्याज आदि	Rs. 70,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ix	Gross कुल मूल्य	283192	25,4716	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

7. अचल परिसम्पत्तियों का विवरण :

- नोट : 1 संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए।  
 नोट : 2 प्रत्येक भूमि, भवन, अपार्टमेंट, फ्लैट आदि का धौरा अलग-अलग दिया जाए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
i	कृषि भूमि, उसकी अवस्थिति तथा खाता, प्लॉट नम्बर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	कुल स्क्वा (एकड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ज्या मुक्तनी सम्पत्ति है या स्वयं खरीदा गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद के समय उसका मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	उस जमीन पर कोई नियंत्रण जैसे निर्माण आदि	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ii	गेर कूड़े भूमि, अधीनस्थिति, छाता-प्लॉट नम्बर	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)	2 च.हे।	गलत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरानी परिस्थिति है या स्वयं खरीदा गया है?	पुरानी	गलत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीदने की तारीख	शून्य	संदेह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खरीद के समय उसका मूल्य	1504	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस जमीन पर कोई नियंत्रण जैसे निर्माण आदि	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iii	व्यवसायिक भवन (अपार्टमेंट, प्लॉट तथा उसकी अधीनस्थिति)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल रकबा (स्क्वायर फीट में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	Built-up Area का रकबा (स्क्वायर फीट में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या पुरानी परिस्थिति है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यदि स्वयं खरीदा गया है तो खरीद की तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	खरीद के समय परिस्थिति का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	उस परिस्थिति को विकसित करने में कोई नियंत्रण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
iv	भवन (अपार्टमेंट, प्लॉट आदि तथा उसकी अधीनस्थिति एवं छाता-प्लॉट नम्बर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



8. सार्वजनिक विधायक संस्थाओं और सरकारी देनदारियों/ रकबा

नोट: कृपया प्रत्येक बैंक, विधायक संस्थान, व्यक्तिगत देनदारी तथा सन्निहित राशि का अलग-अलग ब्यौरा दें

क्रम संख्या	विवरण	रकबा	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक या विधायक संस्थान का ऋण (बैंक/ विधायक संस्थान का नाम, ऋण की प्रकृति तथा ऋण की कुल राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य व्यक्तियों या संस्थानों की देनदारी (नाम, ऋण का प्रकृति तथा कुल राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य देनदारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सभी देनदारियों/ ऋण की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	सरकारी देयता अथवा क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लिए देयता तथा विभाग का नाम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जलापूर्ति के लिए देयता तथा विभाग का नाम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिजली के लिए देयता तथा विभाग का नाम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिवहन/वाहन के लिए देयता तथा विभाग का नाम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आयकर देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सम्पत्ति कर देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका से कर की देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिंकी कर की देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सभी प्रकार की सरकारी देयता की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य देयता जिसमें विवाद हो (पूरी राशि तथा प्राधिकारी का नाम जहाँ विवाद लम्बित है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. सेवा एवं व्यवसाय का पूर्ण घोषा :

- (क) स्वयं गृहणी/समाजसेवी  
 (ख) पत्नी श्री. छोद्येयाकर

10. शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नलिखित हैं :-

साक्षर



श्री. केशरी  
 अभिसाक्षी  
 7.5.2015

**सत्यापन**

मैं उपरोक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु में विस्वास और सत्यता है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि -  
 (क) मैं किसी भी मामले में सजायापन्न नहीं हूँ और न ही कोई मामला मेरे विरुद्ध लम्बित है सिवाय कण्डिका 6 के।  
 (ख) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे अभिभावकों के ऊपर कोई भी देनदारी या देयता या ऋण नहीं है सिवाय कण्डिका 7 के।  
 (ग) मेरे या मेरी पत्नी या मेरे अभिभावकों का पास और कोई परिसम्पत्ति नहीं है सिवाय कण्डिका-8 के।

वर्ष 2015 के 5-7 दिनों को देवघर में स्थान पर सत्यापित किया।

श्री. केशरी

Deponent is identified by me and she put her signature in my presence

श्री. केशरी

शपथकर्ता  
 7-5-2015

Jeevanlal Mishra  
 Advocate  
 7-5-2015

अभिसाक्षी  
 7-5-2015

नोट: 1. शपथ पत्र को Commissioner या जज या न्यायाधीश या नोटरी ऑफिस के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा।  
 2. सभी कोतम में हुए होने चाहिए तथा कोई भी कोतम गलत नहीं होगा। यदि किसी तरह में अहित करने के लिए कोई सूचना मिली है तो उसे कोतम में प्रस्तुत करना चाहिए।

